

**कार्यालय,
समिति, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

तारीख दिनांक 10-9-2020

- कार्यालय ज्ञाप -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अथवा इन्फोर्टेक, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-8-2020 से 2020-21 हेतु विभिन्न राज्यीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की अवधि अतिरिक्त शिक्षा परिषद, प्रमुख लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अथवा, प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्रमुख लखनऊ की अध्यक्षता में संविध कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अब के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्-3 में झिल्लिया इन राज्यीय पाठ्यक्रम कार्यालय अपने राज्यीय पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं पर प्रकाशन तथा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन शिक्षा-विशेषी कर निम्नानु निर्णय लिए गए -

"जिसी क्षेत्र में स्थापित विधोना इन राज्यीय पाठ्यक्रम संघारित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्रमुख लखनऊ से पूर्ण से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीछीक्याईक द्वारा उन्हें स्थापित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं ने पीछीक्याईक द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसूचक एनके तक के समुदाय अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीछीक्याईक द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिने जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्रमुख लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अवधि पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अतिरिक्त क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था क्षेत्र	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीछीक्याईक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीछीक्याईक /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	इलाहाबाद	डी. सुभाष अतिरिक्त अथवा राज्यीय, एलएच नॉन डी, विभिन्न-उत्तरप्रदेशीय पीछी-पठनिसंग्रह, केरलापुर, काशीपुर, वीरपुर।	विशेषी इन राज्यीय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीछीक्याईक/पीछीक्याईक द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं प्रमुख लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद निम्नलिखितों के अन्तर्गत निम्नलिखित-2020 तक अन्य निर्मित विचार एवं अवधि को अनुमोदन करेगी तथा सुदूर निर्धारित अवधि द्वारा निर्मित सुदूर तक राज्यीय इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रमों हेतु एक 30,000.00/- अधिवर्ष, दो राज्यीय राज्यीय पाठ्यक्रम हेतु एक 10,000.00/- अधिवर्ष एवं एक तथा दो राज्यीय पाठ्यक्रमों (दो राज्यीय राज्यीय पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु एक 20,000.00/- अधिवर्ष सुदूर ही प्रत्येक पाठ्य/अथवा दो अथवा कितना करेगा। उपरोक्त को अतिरिक्त पाठ्य/पाठ्यक्रमों में सुदूर को संस्था में समय-समय पर सफल द्वारा निर्मित किये जाने वाले कार्यालयों प्रकृति होने और अनुसूचक कार्यवाही किया



संस्था का प्रतिनिधित्व हो कि संस्था में प्रत्येकित संस्थानिक पदस्थान को भरणे वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपस्थित करने पर ही संस्था, भू-
स्वामि, कारिगार, उपस्थानिक इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पदस्थान के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और संस्था को इसकी जानकारी देनी
कि संस्था का प्रयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए करना नहीं है जो संस्था का नाम प्रयोग करने वाले को अनुमति की जाती है।
संस्था के संस्थागत निदेशों के अंतर्गत संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान संस्था के नाम/संस्था/संस्थागत/संस्थागत/संस्थागत।
संस्थागत/संस्थागत नहीं प्राप्त करता है जो संस्था को संस्थागत प्रयोग कर दी जाती है।
✓ संस्थागत कार्य का अनुमति देने वाले संस्था कार्य का प्रयोग करने वाले को संस्था में निदेशानुसार अनुमतिपत्र/संस्थागत कार्यकारी की जाती है।

(संस्था के अध्यक्ष)

संस्था

दिनांक: 20/05/2023

☎ संस्था- 020-2611221/2611222/2611223/2611224/2611225/2611226/2611227/2611228/2611229/2611230

संस्था-

संस्थागत/संस्थागत SHREE KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY GATA NO-34 VILL-ANHADNAGAR POST-MAZLIHAPUR,
NAIPALAPUR-KARRALA ROAD,SITAPUR-261125

(संस्था के अध्यक्ष)

संस्था



संशोधन

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद/सम्बद्धता/2022/9788

संख्या- दिनांक: 10/10/2022

प्रस्तावित कार्य

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्यालय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रूप 2022-23 हेतु विद्यार्थी संख्याओं के अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संख्याओं को सम्बद्धता पूर्व से संघारित संख्याओं को सम्बद्धता विस्तार परदृश्यक प्रेषण समेत वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परदृश्यक एवं उसी अक्षर प्रेषण समेत हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पूरा एवं नाम : 2066-SHREE KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	परदृश्यक का नाम	ए0आइ0पी0टी0ई0/ पी0टी0आइ0 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रेषण समेत	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रेषण समेत
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0टी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, रीगुलटिंग विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इतिवृत्त परदृश्यक हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय परदृश्यक हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय परदृश्यक (दो वर्षीय कार्यालय परदृश्यक के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक (आवृत्त) से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त (आवृत्त) से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनदेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार संपर्कित किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि रूप 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविनियम/अधिनियम/शासनदेश/निर्देश एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
 - ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0टी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व

Conclusion

- 1. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 2. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 3. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 4. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 5. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 6. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 7. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.
- 8. The student should be able to identify the various types of drugs used in the treatment of various diseases.

[Signature]
 (Name of student)

Date

Date: 10/10/2022

Page No: 100

Page No: 100
 FREE INDIA COLLEGE OF PHARMACY

[Signature]

